

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—19/2021 (2021/42) वादपत्र

अनवान

1. शंकरलाल आत्मज मोहनलाल कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा, तहसील माण्डल

वादी

बनाम

1. सजाद खां आत्मज अलीयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर
2. रफीक मोहम्मद अली आत्मज युसुफ खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर
3. सरदार बेगम बेवा युसुफ खां मुलसमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 3/1. रफीक मोहम्मद अली आत्मज युसुफ खां मुलसमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर
4. हमीद खां आत्मज हयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. वहीद खां आत्मक हयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सायर बानु पुत्री हयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हुसैन बानु पत्नि हयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लक्ष्मीकान्त आत्मज दुर्गाशंकर शर्मा निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. महेन्द्र सिंह —
2. लोकेश सिंह —

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:—17.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2677 रकबा 0.32 है, आराजी संख्या 2679 रकबा 0.52 है, आराजी संख्या 2680 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 2681 रकबा 1.51 है कुल किता 4 कुल रकबा 2.45 है भूमि खाता संख्या 874 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 7/27 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 तक 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 4/15 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग-अलग निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपयोग हेतु भूमि



सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे वादी वाद पत्र की कलम नं० 1 में अंकित आराजियात में वादी संख्या 1 का 7/27 हिस्सा हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7, 8 के अधिवक्ता उपस्थित अपने हिस्से का विभाजन करते सहमति व्यक्त की गई तथा प्रतिवादी संख्या 9, 10 फोरमल पक्षकार है जिससे वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2022 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 8 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2677 रकबा 0.32 है०, आराजी संख्या 2679 रकबा 0.52 है०, आराजी संख्या 2680 रकबा 0.10 है०, आराजी संख्या 2681 रकबा 1.51 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.45 है० भूमि में वादी का 7/27 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 4/15 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

दौराने वाद वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उभयपक्षकारों की सहखातेदारी ग्राम रायपुर में खाता संख्या 97 में अंकित खसरा नम्बर 2567 दौराने वाद सेवन से छुट गया था जिसको भी इस वाद में शामिल करते हुए विभाजन करने का निवेदन किया किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी अधिवक्ता को भी कोई आपत्ति नहीं होकर इस आराजी को वाद में शामिल करते हुए विभाजन में सहमति व्यक्त की गई।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में एवं प्रार्थना पत्र के अनुसार तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिनके द्वारा दिनांक 12.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली है। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



## आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 977 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2677/2 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2679/2 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 भूमि शंकरलाल पिता मोहनलाल कुमावत सा. चावण्डिया (माण्डल) खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2679/3 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 2681/2 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि लक्ष्मीकान्त पुत्र दुर्गाशंकर शर्मा सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2681/1 रकबा 0.80 है0 भूमि रफीक मोहम्मद अली पुत्र युसुफ खा सरदारी बेगम पत्नि युसुफ खा मुसलमान सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2680 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2681/4 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 भूमि सजाद खां पुत्र अलीयाज खां मुलसमान सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2681/3 रकबा 0.16 है0 भूमि वहीद खा हमीद खा सायरा बानो पिता हैयाज खा हुसैन बानो पत्नि हैयाज खा मुलसमान सा. देह खातेदार रहन हिस्सा वहीद खा हमीद खा हुसैन बानो बैंक ऑफ बड़ोदा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2677/1 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 2679/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2681/5 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर एवं खाता संख्या 917 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2657/2 रकबा 0.19 है0 भूमि शंकरलाल पिता मोहनलाल कुमावत सा. चावण्डिया (माण्डल) खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2657/4 रकबा 0.19 है0 भूमि रफीक मोहम्मद पुत्र युसुफ खा 1/2 सरदारी बेगम पत्नि युसुफ खा 1/2 मुसलमान सा. देह खातेदार रहन बी.ओ.बी. रायपुर व बी.आर.के.जी.बी. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2657/1 रकबा 0.05 है0 भूमि शामलाती रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा



मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—19/2021 (2021/42) वादपत्र

अनवान

1. शंकरलाल आत्मज मोहनलाल कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा, तहसील माण्डल

वादी

**बनाम**

1. सजाद खां आत्मज अलीयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर
2. रफीक मोहम्मद अली आत्मज युसुफ खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर
3. सरदार बेगम बेवा युसुफ खां मुलसमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 3/1. रफीक मोहम्मद अली आत्मज युसुफ खां मुलसमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर
4. हमीद खां आत्मज हयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. वहीद खां आत्मक हयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सायर बानु पुत्री हयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हुसैन बानु पत्नि हयाज खां मुसलमान निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लक्ष्मीकान्त आत्मज दुर्गाशंकर शर्मा निवासी रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा.का.अ. 188-92क स्थाई निषेधाज्ञा बाबत्**

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 977 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2677/2 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2679/2 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 भूमि शंकरलाल पिता मोहनलाल कुमावत सा. चावण्डिया (माण्डल) खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2679/3 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 2681/2 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि लक्ष्मीकान्त पुत्र दुर्गाशंकर शर्मा सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2681/1 रकबा 0.80 है0 भूमि रफीक मोहम्मद अली पुत्र युसुफ खा सरदारी बेगम पत्नि युसुफ खा मुसलमान सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2680 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2681/4 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 भूमि सजाद खां पुत्र अलीयाज खां मुलसमान सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2681/3 रकबा 0.16 है0 भूमि वहीद खा हमीद खा सायरा बानो पिता हैयाज खा हुसैन बानो पत्नि हैयाज खा मुलसमान सा. देह खातेदार रहन हिस्सा वहीद खा हमीद खा हुसैन बानो बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2677/1 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 2679/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2681/5 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर एवं खाता संख्या 917 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2657/2 रकबा 0.19 है0 भूमि शंकरलाल पिता मोहनलाल कुमावत सा. चावण्डिया (माण्डल) खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2657/4 रकबा 0.19 है0 भूमि रफीक मोहम्मद पुत्र युसुफ खा 1/2 सरदारी बेगम पत्नि युसुफ खा 1/2 मुसलमान सा. देह खातेदार रहन बी.ओ. बी. रायपुर व बी.आर.के.जी.बी. रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2657/1 रकबा 0.05 है0 भूमि शामलाती रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा